

राज्य सरकार की योजनामार्गद निःशक्त छात्रों की छात्रवृत्ति
नूतन (फ़ेश) आवेदन पत्र (वर्ष 200 -200)
आवेदन पत्र

- नोट : 1. राजकीय एवं मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों के आवेदन पत्र वहाँ के प्रधानाचार्य को सन्बोधित किये जायेंगे।
2. अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त करने की स्थिति में यह छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

पासपोर्ट साइज का
इसी वर्ष लिया गया
फोटो यहाँ चिपकारं
एवं उस पर
हस्ताक्षर करें।

भाग "क" (छात्र/छात्रा द्वारा भरा जाये)

सेवा में

1. प्रार्थी का पूरा नाम श्री/श्रीमती/कुमारी
2. पिता/पति का नाम श्री
3. श्रेणी जाति नागरिकता
- अ) अरिक्त विकलांग/कुष्ठ रोग मुक्त
ब) दृष्टि क्षमि/अल्प दृष्टि
स) कवन बाधित
द) मानसिक विमोहित/मानसिक सन्वृता
4. स्थाई निवास का पूरा पता
5. अध्ययन के लिए नाम सम्बन्ध
पिता/माता/संरक्षक/पति व्यवसाय
अथवा स्वयं में से खर्च वहन वार्षिक आय
6. यदि आप संरक्षक में लगे हैं तो (नियोजनकर्ता द्वारा अवैतनिक अवकाश पर आगे अध्ययन की अनुमति देने की स्थिति में अनुमति पत्र या अवकाश का विवरण पत्र संलग्न करें।)
(क) आपका वर्तमान व्यवसाय (ख) नियोजनकर्ता का नाम व पता
(ग) मासिक कुल आय
7. किस कोर्स एवं कक्षा के लिए छात्रवृत्ति भरी गई है :-
(क) शैक्षणिक संस्था
(ख) कोर्स कक्षा
(ग) कक्षा में प्रवेश की तिथि
8. नैन छात्रावास एवं पूरा पता
छात्रावास संस्था का/मान्यता प्राप्त है प्रवेश लेने की तिथि
9. पत्र (एम्प्लूमेंट्स) जो संलग्न किये -
(1) निःशक्तता का प्रमाण पत्र (अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा)
(2) स्वनिर्धारित पिता/संरक्षक का आव हेतु नैन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र अथवा निवृद्धित पितर/
संरक्षक को नियोजता से प्राप्त आव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
(3) परीक्षा का प्रमाण पत्र एवं अंक तालिका की प्रमाणित प्रतियाँ
(4) अन्य

मैं यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही हैं। यदि गलत प्रकार से मैंने छात्रवृत्ति ले ली तो मैं उसे वापिस जमा कराने हेतु जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर प्रार्थी

.....

भाग 'ख' (शिक्षा संस्था के प्रसारी अधिकारी द्वारा भरा जावे)

1. प्रार्थी के अध्ययन का कोर्स एवं कक्षा :
कोर्स
कक्षा
2. स्वीकृत छात्रवृत्ति की राशि पितरित
करने वाले अधिकारी का पद व पता
3. ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक किस नाम से बनवाया जाना है
4. ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक जिस स्थान के लिए बनाया जाना है, का नाम
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि यह संस्था
विश्वविद्यालय/बोर्ड से सम्बन्धित एवं भारत सरकार/राज्य सरकार (राजस्थान) द्वारा मान्यता प्राप्त है।
प्रार्थी इस संस्था में की कक्षा में अध्ययन कर रहा है।

छात्रवृत्ति की राशि का नियमानुसार वितरण एवं हिस्सा-किताब रखा जाकर सम्बन्धित स्वीकृतकर्ता को भिजवाया जायेगा। बीच सत्र में अध्ययन छोड़ने वाले अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार करने वाले प्रार्थी की छात्रवृत्ति बन्द कर दी जायेगी। अतिरिक्त राशि राज्य के खाते में जमा कश दी जायेगी।

क्रमांक : संस्था के मुख्य अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम

दिनांक : पता

(स्टाम्प के हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे)